(भारतसरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेलमंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवेबोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 003 /2021
GST Circular No. 002/2021

No. 2018/AC-II/1/57 15th January, 2021

General Managers,
All Zonal Railways/Production Units

Sub :- Accounting process of IRFC Infrastructure Leasing Contracts under EBR-S source.

Ref:- Railway Board's letter No. 2015/AC-II/2/6 dated 5.1.2021 (RBA No. 2/2021).

Railway Board's letter ibid may be referred, wherein allocations for new source of fund EBR-S were circulated. In this regard following Accounting Processes are brought out to book the expenditure under the newly created source of expenditure. Following aspects have to be kept in mind while booking the expenditure under this source of expenditure:-

a. Capital component of lease charges, external aid components, equity infusion, etc. shall not be funded out of EBR-S source. Besides this procurement of land shall also be not funded out of EBR-S source.

b. Therefore, subject to above, expenditure booked under Capital Source from 1.4.2020 onwards would require to be transferred to EBR-S, as per approved RE-2020-2021, as communicated by Budget Directorate, Railway Board.

c. For this, there is an urgent requirement to enter into one-time Novation Agreement (as per approved template---GST Circular No. 18/2020 dated 24.3.2020) with the Vendor/Contractors of Indian Railway, bringing out that this arrangement of Billing on IRFC in respect of procurement through EBR-S Fund would be applicable for billing done **till 31.3.2021 only**. **All the Zonal Railways shall have to comply with this in order to ensure that all billing is in the name of IRFC only. This will have to be ensured by all Executive Departments, viz., Civil Engineering, S&T, Electrical, etc in respect of those contracts financed out of EBR-S source.**

1/4

P.T.O

d. Expenditure on supply of goods, still lying in Stock (that is not installed), viz., Rails, etc. and other movable assets like Rolling Stock, Machinery and Plant, etc. shall be treated as Supply of Goods and invoiced on IRFC with GST payable by IRFC on Forward Charge Mechanism. Corresponding Input Tax Credit, which would have been flagged as 'No ITC' shall have to be reflagged as full ITC or partial ITC to ensure GST neutral for Indian Railways.

e. Goods that have been installed, gets treated as Supply of Services and therefore GST shall be payable by IRFC under Reverse Charge Mechanism.

There are three possible scenarios to implement the above. Following processes are suggested. These scenarios are discussed as below:-

a. **Scenario No. 1 (RVNL, other Railway PSUs, etc.):** Capital Expenditure from 1.4.2020 till date) may have booking of expenditure in respect of supply of goods and services rendered by RVNL, other Railway PSUs etc. A one-time novation agreement needs to be entered with RVNL, other Railway PSUs, etc. and pursuant to that, all the bills raised by RVNL, dated 1.4.2020 onwards till date, needs to be reversed by them by issuing a Credit Note. On the authority of Credit Note, **reversal of expenditure can be done under Capital Source**. CRIS is requested to link the Credit Note with the corresponding Invoice raised by RVNL, other Railway PSUs earlier and auto populate the Input Tax Credit Flags in the Credit Note booking, to eliminate any errors or inconsistency.

   Simultaneously, fresh bills may be issued by RVNL, other Railway PSUs in the name of IRFC, using the GSTIN credentials of IRFC. This invoice can be booked as expenditure under EBR-S, similar to the existing process being followed under EBR-IF.

b. **Scenario No. 2 (Expenditure already booked under Capital Source of Funds other than RVNL, Railway PSUs, etc.):**

   i. Expenditure incurred on items namely Capital component of lease charges, external aid components, equity infusion, procurement of land, etc. shall not be funded out of EBR-S source.

   ii. Wherever in RE-2020-2021, Plan Head expenditure is in the nature of supply of Goods viz., PH 21-Rolling Stock, PH-41, Machinery and Plants, PH-42 Workshops/PUs, etc., the same gets categorized as 'Supply of Goods' and GST is charged in the Tax Invoice raised by IR on IRFC under 'Forward Charge Mechanism'. **CRIS is requested to allow re-flag of such expenditure as full ITC, so that IR may avail ITC and is not put to loss.**

   iii. In respect of expenditure other than Supply of Goods also, if there are any item lying in Stock, that is not yet consumed, viz., Rails, Signaling Equipments, etc., same can be billed to IRFC treating the same as 'Supply of Goods' and appropriate HSN Code needs to be applied in the Tax Invoice. This is so because

these items are categorized as 'Movable Assets' as on date. However, following sub-scenarios may arise:-

1) All the expenditure (already booked) where vendor bills date is prior to 1.4.2020, Indian Railway will have to issue Tax Invoice as per existing principle. In case those items are lying in Stock, that is, not yet consumed, same can be billed to IRFC treating the same as 'Supply of Goods' and appropriate HSN Code needs to be applied in the Tax Invoice.
   In case the goods are already installed, then the supply will be treated as 'Supply of Service' and same will be billed on IRFC under RCM i.e., GST shall be payable by IRFC under RCM. In such scenario, i.e., where GST is payable under RCM, reversal of ITC availed on such goods and services procured shall have to be reversed.
2) All the expenditure (already booked) where vendor bills date is post 1.4.2020, Indian Railway will have to issue Tax Invoice as per existing principle. In case those items are lying in Stock, that is, not yet consumed, same can be billed to IRFC treating the same as 'Supply of Goods' and appropriate HSN Code needs to be applied in the Tax Invoice. **CRIS is requested to allow for revision of ITC Flags, on the procurement made by categorizing it as 'T4', so that IR can avail ITC and ensure GST neutral.**

   In case the goods are already installed, then the supply will be treated as 'Supply of Service' and same will be billed on IRFC under RCM i.e., GST shall be payable by IRFC under RCM. In such scenario, i.e., where GST is payable under RCM, reversal of ITC availed on such goods and services procured shall have to be reversed.

Both for the above scenarios, the invoice issued as above shall be the supporting vouchers for effecting transfer of expenditure already booked and booking of fresh expenditure to EBR-S. The allocation head for EBR-S have already been advised vide RBA No. 2/2021, referred above.

c. **<u>Scenario No. 3 (Current dated expenditure):</u>** W.e.f. 1st Jan 2021, action shall be taken to enter into novation agreement with the vendors and get the invoice prepared in the name of IRFC. Booking of expenditure shall be regulated as per accounting policy enumerated in RBA No. 41/2020, 62/2020 and 75/2020. Due regards to Railway Board's policy directives (RBA No. 65/2020) regarding ITC flagging shall be strictly followed. **In respect of those bills that has not yet been paid and has been kept pending for want of Budget Allocations, etc. under Capital, fresh bills may be obtained from Vendor using IRFC's GST credentials and simultaneously Vendor shall also withdraw or cancel their bills submitted, by issuing a credit Note under GST Rules. Thereafter the new bills with IRFC's GST credentials can be considered for payment under the**

P.T.O

Source EBR-S. This process is essential to ensure Tax Efficiency under GST Rules and also to ensure that the RE-2020-2021 allocated under EBR-S is utilized effectively. It must be noted that for deduction of TDS, the procedure as adopted in the EBR-IF is to be followed i.e., the same head of accounts, as in the existing process of booking EBR-IF expenditure, for accounting GST & Income Tax TDS, is to be used and also same process for remittance of TDS amount to IRFC shall be ensured.

This issue with the concurrence of Budget Directorate and approval of competent authority.

(V.Prakash)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. All EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
2. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board.
3. PFAs, All Zonal Railways and Production Units.
4. EDFB, EDF/RM,Railway Board.
5. MD, IRFC, GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS.
6. Director Finance, RVNL, New Delhi.
7. Finance Secretary, Ministry of Finance, Department of Revenue, North Block, New Delhi.

भारत सरकार/(Government of India)

रेल मंत्रालय/(Ministry of Railways)

रेलवे बोर्ड/(Railway Board)

आरबीए सं. 003/2021

जीएसटी परिपत्र सं. 002/2021

सं. 2018/एसी-II/1/57 15 जनवरी, 2021

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय :- ईबीआर-एस स्रोत के अंतर्गत आईआरएफसी लीज़िंग संविदा की लेखा प्रक्रिया के संबंध में ।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का दिनांक 5.1.2021 का पत्र सं. 2015/एसी-II/2/6 (आरबीए सं. 2/2021)।

रेलवे बोर्ड के उक्त पत्र का अवलोकन करें, जिसमें निधि के नए स्रोत ईबीआर-एस के लिए आबंटन किए गए थे। इस संबंध में नए सिरे से बनाए गए व्यय स्रोत के अंतर्गत होने वाले व्यय को बुक करने के लिए निम्नलिखित लेखा प्रक्रियाएं लाई गई हैं । व्यय के इस स्रोत के अंतर्गत व्यय बुक करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जाए :-

क. पट्टा प्रभार, बाह्य सहायता घटकों, इक्विटी संचार आदि ईबीआर-एस स्रोत से वित्तपोषित नहीं किए जाएंगे। इसके साथ भूमि की खरीद भी ईबीआर-एस स्रोत से वित्तपोषित नहीं की जाएगी ।

ख. अतः उपरोक्त के अध्यधीन, बजट निदेशालय, रेलवे बोर्ड द्वारा बताए गए अनुमोदित आरई-2020-2021 के अनुसार, 1.4.2020 से पूंजी स्रोत के अंतर्गत बुक किए गए व्यय को ईबीआर-एस में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता होगी।

ग. इसके लिए, भारतीय रेल के वेंडरों/ठेकेदारों के साथ एकबारगी नवीनता करार करने की तुरंत आवश्यकता होगी (दिनांक 24.3.2020 के जीएसटी परिपत्र सं. 18/2020 --- अनुमोदित नमूने के अनुसार) जिसमें यह लिखा हो कि ईबीआर-एस फंड के माध्यम से खरीद के संबंध में आईआरएफसी पर बिलिंग की यह व्यवस्था केवल 31.3.2021 तक की गई बिलिंग के लिए लागू होगी। सभी ज़ोनल रेलें इसका अनुपालन करें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सारी बिलिंग केवल आईआरएफसी के नाम पर है। इसे सभी कार्यकारी विभागों जैसे सिविल इंजीनियरी, एस एंड टी, इलेक्ट्रिकल आदि को उन ठेकों के संबंध में जो ईबीआर-एस स्रोत से वित्तपोषित हैं सुनिश्चित करना होगा।

घ. स्टॉक में अभी भी पड़े माल (जो लगाया नहीं गया है) जैसे पटरियां आदि माल की आपूर्ति पर व्यय और अन्य चल परिसंपत्तियों जैसे चल स्टॉक, मशीनरी एवं संयंत्र आदि को माल की आपूर्ति माना जाएगा और अग्रिम प्रभार तंत्र के आधार पर आईआरएफसी द्वारा देय जीएसटी के साथ इनवॉइस आईआरएफसी के नाम पर होगी। तदनुरुपी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे 'नो आईटीसी' के रूप में चिह्नित किया गया होगा उसे पूर्ण आईटीसी या आंशिक आईटीसी के रूप में फिर से चिह्नित करना होगा ताकि भारतीय रेल के लिए जीएसटी तटस्थ सुनिश्चित किया जा सके ।

ङ. जिस माल को लगा दिया गया है, उसे सेवा की आपूर्ति माना जाए और इसलिए आईआरएफसी द्वारा देय जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अंतर्गत होगा।

उपरोक्त को कार्यान्वित करने के लिए 3 संभव परिदृश्य हैं । निम्नलिखित प्रक्रियाएं सुझाई गई हैं । इन परिदृश्यों पर निम्नानुसार विचार-विमर्श किया गया है:-

क. परिदृश्य सं. 1 (आरवीएनएल, अन्य रेल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि) : पूंजी व्यय में 01.04.2020 से अब तक आरवीएनएल, अन्य रेल सार्वजनिक उपक्रमों आदि द्वारा की गई माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में व्यय की बुकिंग की जा सकती है। आरवीएनएल, अन्य रेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के साथ एकबारगी नवीनता करार किए जाने की आवश्यकता है और उसके अनुसरण में, आरवीएनएल द्वारा 01.04.2020 से लेकर अब तक के सभी बिलों को क्रेडिट नोट जारी करके वापिस लेना होगा। क्रेडिट नोट के प्राधिकार पर, पूंजी स्रोत के अंतर्गत व्यय का प्रतिलोम(रिवर्सल) किया जा सकता है । क्रिस से अनुरोध है कि आरवीएनएल, अन्य रेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा पहले से प्रस्तुत तदनुरूपी बीजक के साथ क्रेडिट नोट लिंक करे और क्रेडिट नोट की बुकिंग में इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्लैग्स को ऑटो पॉपुलेट करे ताकि कोई भी गलती और अनियमितता को दूर किया जा सके। इसके साथ-साथ, आरवीएनएल, अन्य रेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा आईआरएफसी के जीएसटीआईएन प्रत्यय-पत्रों का प्रयोग करते हुए आईआरएफसी के नाम पर नए बिल जारी किए जा सकते हैं। ईबीआर-आईएफ के अंतर्गत पालन की जा रही मौजूदा प्रक्रिया की तरह इस बीजक को ईबीआर-एस के अंतर्गत व्यय के रूप में बुक किया जा सकता है ।

ख. परिदृश्य सं. 2 (आरवीएनएल, रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि के अतिरिक्त निधियों के पूंजी स्रोत के अंतर्गत पहले से बुक व्यय) :

i. पट्टा प्रभारों के पूंजी घटक, बाह्य सहायता घटक, इक्विटी संचार, भूमि की खरीद आदि मदों पर किया गया व्यय ईबीआर-एस स्रोत से वित्तपोषित नहीं किया जाएगा।

ii. आरई-2020-2021 में जहां भी योजना शीर्ष व्यय माल की आपूर्ति किस्म का है जैसे योजना शीर्ष 21-चल स्टॉक, योजना शीर्ष-41,

मशीनरी एवं संयंत्र, योजना शीर्ष-42 कारखाने/उत्पादन इकाइयां आदि, तो इसे माल की आपूर्ति के रूप में कोटिकृत किया जाए और भारतीय रेल द्वारा आईआरएफसी पर जारी कर बीजक में अग्रिम प्रभार तंत्र" के अंतर्गत जीएसटी वसूल किया जाए। **क्रिस से अनुरोध है कि ऐसे व्यय को पूर्ण आईटीसी के रूप में पुन:चिह्नित करने की अनुमति दे ताकि भारतीय रेल आईटीसी प्राप्त कर सके और उसे कोई घाटा न हो।**

iii. माल की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी व्यय के संबंध में भी, यदि ऐसी कोई वस्तु स्टॉक में पड़ी है जिसे अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया है जैसे पटरियां, सिगनल के लिए उपस्कर आदि, तो इसे माल की आपूर्ति मानते हुए उसका बिल आईआरएफसी के नामे डाला जाए और कर बीजक में उचित एचएसएन कोड अनुप्रयुक्त करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन मदों को उस तारीख तक चल परिसंपत्ति के रूप में कोटिकृत किया गया है। हालांकि, निम्नलिखित उप-परिदृश्य भी हो सकते हैं :-

1) सभी व्यय (पहले से बुक किए गए) जहां वेंडर के बिलों की तारीख 01.04.2020 से पहले की है, भारतीय रेल को मौजूदा सिद्धांतों के अनुसार कर बीजक जारी करना होगा। ऐसे मामले में जहां ये वस्तुएं स्टॉक में पड़ी हैं और अभी तक प्रयोग नहीं हुई हैं, तो इसे माल की आपूर्ति मानते हुए उसका बिल आईआरएफसी के नामे डाला जाए और कर बीजक में उचित एचएसएन कोड अनुप्रयुक्त करना होगा।

   यदि वस्तुएं पहले से ही लगा दी गई हैं तो आपूर्ति को सेवा की आपूर्ति माना जाए और इसका बिल आरसीएम के अंतर्गत

आईआरएफसी के नामे डाला जाए अर्थात् आईआरएफसी द्वारा आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी देय होगा। ऐसे परिदृश्य में, अर्थात् जहां जीएसटी आरसीएम के अंतर्गत देय होगी, ऐसे माल एवं सेवा पर प्राप्त की गई आईटीसी को लौटाना होगा।

2) सभी व्यय (पहले से बुक किए गए) जहां वेंडर के बिल की तारीख 01.04.2020 के बाद की है, भारतीय रेल को मौजूदा सिद्धांतों के अनुसार कर बीजक जारी करना होगा। यदि वस्तुएं स्टॉक में पड़ी हैं अर्थात् अभी तक प्रयोग नहीं हुई हैं, तो इसे माल की आपूर्ति मानते हुए उसका बिल आईआरएफसी के नामे डाला जाए और कर बीजक में उचित एचएसएन कोड अनुप्रयुक्त करना होगा। **क्रिस से अनुरोध है कि जिस खरीद को 'टी-4' के रूप में कोटिकृत किया गया है, के आईटीसी फ्लैग को संशोधित करने की अनुमति दे, ताकि भारतीय रेल आईटीसी प्राप्त कर सके और जीएसटी तटस्थ सुनिश्चित किया जा सके।**

   ऐसे मामलों में, जहां माल पहले ही लगा दिया गया है तब आपूर्ति को "सेवा की आपूर्ति माना जाए और इसका बिल आरसीएम के अंतर्गत आईआरएफसी के नामे डाला जाए अर्थात् आईआरएफसी द्वारा आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी देय होगा। ऐसे परिदृश्य में, अर्थात् जहां जीएसटी आरसीएम के अंतर्गत देय हो, वहां माल एवं सेवाओं की खरीद पर प्राप्त आईटीसी को लौटाया जाए।

उपरोक्त दोनों परिदृश्यों के लिए, उपरोक्तानुसार जारी किए गए बीजक पहले से बुक किए गए व्यय के हस्तांतरण और ईबीआर-एस को नए व्यय की बुकिंग को प्रभावित करने

के लिए सहायक वाउचर होंगे। ईबीआर-एस के लिए आबंटन शीर्ष को पहले ही उपरोक्त संदर्भित आरबीए सं. 2/2021 के तहत बताया जा चुका है ।

ग. परिदृश्य सं. 3 (वर्तमान तिथि व्यय) : 1 जनवरी, 2021 से वेंडरों के साथ नवीनता करार करने और आईआरएफसी के नाम पर बीजक तैयार करने की कार्रवाई की जाएगी। व्यय की बुकिंग आरबीए सं. 41/2020, 62/2020 और 75/2020 में बताई गई लेखा नीति के अनुसार विनियमित किया जाएगा। आईटीसी फ्लैगिंग के संबंध में रेलवे बोर्ड के नीति-निर्देशों (आरबीए सं. 65/2020) का कड़ाई से पालन किया जाए। **पूंजी के अंतर्गत ऐसे बिल जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और जिन्हें बजट आबंटन आदि के कारण लंबित रखा गया है, के संबंध में** आईआरएफसी **के जीएसटी प्रत्यय-पत्र का प्रयोग करते हुए वेंडर से नए बिल प्राप्त किए जा सकते हैं और साथ ही साथ वेंडर जीएसटी नियमों के अंतर्गत क्रेडिट नोट जारी करके जमा किए गए अपने पुराने बिलों को वापस ले या रद्द करे। तत्पश्चात** आईआरएफसी **के जीएसटी प्रत्यय-पत्र के साथ नए बिलों पर ईबीआर-एस स्रोत के अंतर्गत भुगतान के लिए विचार किया जा सकता है। यह प्रक्रिया, जीएसटी नियमों के अंतर्गत कर दक्षता सुनिश्चित करने करने के लिए आवश्यक है और साथ ही ईबीआर-एस के अंतर्गत आबंटित आरई-2020-2021 का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यह ध्यान दिया जाए कि टीडीएस की कटौती के लिए ईबीआर-आईएफ में अपनाई गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए अर्थात् लेखा के उन्हीं शीर्षों का प्रयोग किया जाए जैसा कि जीएसटी एवं आयकर टीडीएस के लिए ईबीआईआर-आईएफ व्यय की बुकिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं और आईआरएफसी को टीडीएस राशि प्रेषित करने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाना सुनिश्चित करें ।**

इसे बजट निदेशालय की सहमति और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(वी.प्रकाश)
निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सभी कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड।
2. सभी निदेशक, निदेशक स्तर का जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड।
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी ज़ोनल रेलें और उत्पादन इकाइयां।
4. ईडीएफबी, ईडीएफ/आरएम, रेलवे बोर्ड ।
5. प्रबंध निदेशक, आईआरएफसी, महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस।
6. निदेशक वित्त, आरवीएनएल, नई दिल्ली।
7. वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।